न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश,कोर्ट संख्या–3,लखीमपुर–खीरी।
सी0एन0आर0सं0–यू0पी0एल0पी0–010001072011
एस0टी0सं0–41/2011
मुकदमा अपराध सं0–86/2003
धारा–323,304,506भारतीय दण्ड संहिता
थाना–नीमगांव,जिला–खीरी
राज्य बनाम छोटे खां आदि

19–01–2021

पत्रावली पेश हुई पुकार करायी गयी पुकार पर अभियुक्त छल्लन खां व रवीउल्ला खां उपस्थित। अभियुक्त छोटे खां के सम्बन्ध में थाना नीमगांव से आख्या आहूत की गयी, आख्या आयी कि, अभियुक्त छोटे खां की मृत्यु हो चुकी है जिसके सम्बन्ध में तामील कुनिंदा को तलब किया गया,तामील कुनिदां कां0 अनिल कुमार पाण्डेय का बयान अंकित किया गया बयान में कहा गया कि अभियुक्त छोटे खां की मृत्यु हो चुकी है। जिसके सम्बन्ध में उनके घर के व्यक्ति ने मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो प्रति लाकर दी जो पत्रावली में संलग्न है। थाने की आख्या एंव तामील कुनिंदा के साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त छोटे खां के विरूद्ध वाद उपशमित किया जाता है। अभियोजन साक्षी दिनांक 12–02–21 को तलब हो। पत्रावली साक्ष्य हेतु पेश हो।

अपर सत्र न्यायाधीश,कोर्ट संख्या–3
लखीमपुर–खीरी।
जे0ओ0कोड–यू0पी0 6096